# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0231 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/10/2024 16:30 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/10/2024 **Date To (दिनांक तक):** 14/10/2024

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 09:26 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/10/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/10/2024 16:30:40 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 25 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** 36, AAROPI KA NEEJI AWAS, SHIV COLONY STATION ROAD ANTA, DISTRICT BARAN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):**

**District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GIRIRAJ GUJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** DHANNLAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | GRAM MUNDLA, BARAN, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | GRAM MUNDLA, BARAN, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABULAL GOCHAR | | पिता:MADANLAL GUJAR | 1. 36,STATION ROAD,SHIV COLONY,ANTA,ANTA,BARAN,RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 8,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 8,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, हालात् घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 08.10.2024 को समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री गिरिराज पुत्र धन्नालाल जाति गुर्जर निवासी मुण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां ने ब्यूरो कार्यालय एसीबी बारां मे उपस्थित होकर स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस को इस आशय का पेश किया कि "मैं प्रार्थी गिरिराज पुत्र धन्नालाल निवासी मूण्डला तह0 मांगरोल जिला बारां का निवासी हूं। बाबूलाल जी नायब ने मेरी दुकान तोडने का नोटिस देकर उसे रफा दफा करने की एवज में 10000 रूपये रिश्वत मांग कर परेशान कर रहा है। मैं उसे रिश्वत नही देना चाहता बल्कि उसे ट्रेप करवाना चाहता हूं। कार्यवाही करने की कृपा करें।" परिवादी गिरिराज ने पुछताछ पर बताया कि मेरी बाबूलाल जी नायब साहब से कोई रंजिश नही है। ना ही उनसे कोई उधारी का लेनदेन शेष है। परिवादी गिरिराज गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव मजमून दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आना पाया जाता है इसलिऐ रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से कार्यालय के श्री लोकेश कानि0 362 को बुलाकर परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर का आपसी परिचय करवाया गया। कार्यालय के मालखाना से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवाया जाकर मेमोरी कार्ड को डीवीआर में डालकर चैक किया तथा परिवादी श्री गिरिराज गुंर्जर को चालू व बंद करने की विधि बताकर वार्ता रिकार्ड करने का तरीका समझाया गया। समय 11.10 एएम पर परिवादी को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु डीवीआर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द किया जाकर श्री लोकेश कानि0 को निगरानी हेतु हमराह परिवादी के संदिग्ध आरोपी के पास सीसवाली रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 03.10 पीएम पर परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर हमराह श्री लोकेश कानि0 362 के उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर ने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर बताया कि मैं डीवीआर को लेकर श्री लोकेश जी के साथ बारां से रवाना होकर उप तहसील कार्यालय सीसवाली से कुछ दूरी पहले जाकर रूका। श्री लोकेश जी ने डीवीआर चालू कर मुझे दिया तथा मुझे आरोपी बाबूलाल नायब तहसीलदार के पास रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु उप तहसील कार्यालय सीसवाली में भेजा। श्री लोकेश कानि0 वहीं खडे रहकर मेरे वापस आने का इंतजार करने लगे। मैं तहसील कार्यालय सीसवाली में अन्दर जाकर श्री बाबूलाल जी नायब तहसीलदार साहब से मिला तो श्री बाबूलाल जी नायब तहसीलदार जी ने मेरी दुकान नही तोडने की एवज में 8000 रूपये रिश्वत की मांग की। इस दौरान हमारे बीच में जो भी वार्ता हुई वह मेरे पास डीवीआर में रिकॉर्ड हो गई थी। वार्ता कर मैं वापस श्री लोकेश जी के पास वापस आया तो श्री लोकेश जी ने डीवीआर बन्द कर मेरे पास सुरक्षित रखवा दिया था। मैं व श्री लोकेश जी कानि0 सीसवाली से वापस कार्यालय आये है। इस पर श्री लोकेश कानि0 362 से पुछा गया तो बताया कि एसीबी ऑफिस से रवाना होकर 12.40 पीएम पर सीसवाली उप तहसील कार्यालय के पास कुछ दूरी पहले पहुंचे थे उसके बाद मैंने 12.55 पीएम पर डीवीआर चालू कर परिवादी श्री गिरिराज को देकर संदिग्ध आरोपी के पास उप तहसील सीसवाली में भिजवा दिया था। परिवादी करीब 01.15 पीएम पर वापस मेरे पास आया। मैंने डीवीआर को बन्द कर परिवादी के पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया था कि मेरी बाबूलाल जी नायब तहसीलदार जी से रिश्वत की मांग के संबंध में वार्ता हो गई है। उन्होनें मुझसे 8000 रूपये रिश्वत की मांग की है। उसके बाद मैं परिवादी को लेकर कार्यालय पर आया आपके पास आया हुं। मन् उप अधीक्षक ने डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना तो परिवादी गिरिराज व श्री लोकेश कानि0 362 द्वारा बताये गये कथनो की पुष्टि हुई। परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर को ट्रेप कार्यवाही हेतु रिश्वत राशि 8000 रूपये के बारे में पुछा गया तो परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पास रिश्वत में देने के लिए 8000 रूपये की व्यवस्था नही है। रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर मैं आपको बता दुंगा। परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था हो जाने पर फोन पर अवगत कराने की समझाईष की गई तथा परिवादी को सकुशल रूखसत किया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। फर्द प्राप्ती डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। दिनांक 13.10.2024 समय 07.33 एएम पर परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर ने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि 8000 रूपये की व्यवस्था हो गई है तथा मैं आपके कार्यालय में आज 10.30 एएम पर उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को मामले को गोपनीय रखते हुए समय पर कार्यालय आने की हिदायत की गई। समय 08.00 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय स्टाफ को गोपनीय

ट्रेप कार्यवाही हेतु 09.30 एएम पर उपस्थित होने हेतु निर्देषित किया गया। समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर उपस्थित कार्यालय आया। जिससे ट्रेप कार्यवाही हेतु रिश्वत राशि के बारे में पुछा गया तो रिश्वत राशि 8000 रूपये साथ लेकर आना बताया। परिवादी को तसल्लीपुर्वक कार्यालय में बैठाया गया। समय 10.05 एएम पर श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 को कार्यालय पत्रांक 1239 दिनांक 13.10.2024 मुख्य प्रबन्धक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बारां के नाम मुर्तिब कर दिया तथा दो स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। समय 10.30 एएम पर श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री महेश मेहता पुत्र श्री हरिचरण मेहता जाति किराड उम्र 35 साल निवासी तक्षषिला स्कूल के पीछे बाबजी नगर रोड बारां हाल टेक्निशियन ग्रेड प्रथम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बारां तथा श्री चन्द्रप्रकाश प्रजापति पुत्र श्री किशनलाल जाति कुम्हार उम्र 44 साल निवासी मिश्रा भवन के पास गोरधनपुरा कोटा हाल टेक्निशियन ग्रेड प्रथम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बारां के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। स्वतन्त्र गवाहान से मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिचय प्राप्त कर होने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराया तथा परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर से परिचय करवाकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु सहमति चाही गई जिस पर स्वतन्त्र गवाहान ने मौखिक सहमति दी। परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने हस्ताक्षर किये। समय 10.45 एएम पर कार्यालय के डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को मालखाना से निकलवाकर श्री लोकेश कानि0 362 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में लगवाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को स्पीकर ऑन कर दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को सुनाया गया। वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज श्री बाबूलाल नायब तहसीलदार की होना बताया। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री लोकेश कानि0 362 से हू ब हू टाईप करवाकर तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.30 पी0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान श्री महेश मेहता व श्री चन्द्रप्रकाश प्रजापति के समक्ष परिवादी गिरिराज गुर्जर ने अपने पास से निकालकर आरोपी बाबूलाल नायब तहसीलदार को बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु पांच पांच सौ के 16 नोट कुल 8000/- मन् प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी चौकी बारां को पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है - क्र.स नोट का विवरण नोट का नम्बर 1 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5 DN 903371 2 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1 BM 555878 3 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6 PW 457561 4 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 9 BV 027099 5 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6 PK 277003 6 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1 DG 113346 7 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3 DE 509702 8 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5 DD 248191 9 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8 RC 182086 10 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8 CV 948864 11 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2 CA 945473 12 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4 UU 887565 13 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6 UH 997232 14 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 9 NM 763182 15 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2 KH 143243 16 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4 CT 060888 उपरोक्त नोटों के नम्बरो का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाकर उनकी उपस्थिति में श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 चालक 530 से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शिशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृष्य रहे। परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री महेश मेहता से लिवाई जाकर परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन को छोडकर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 8000 रूपयों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 चालक से रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 चालक के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को दोनों स्वतंत्र गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिससे यह साबित होगा कि संदिग्ध व्यक्ति ने रिश्वत राशि प्राप्त की है। समझाईष प्रक्रिया के बाद डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिकवाया तथा जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि /नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को एवं डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शिशी वापस मालखाने में रखवायी गई। श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 चालक के हाथ एवम् ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शिशीयां को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों, परिवादी व गवाहो ने भी अपने-अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा मैने भी अपने हाथ साबुन व साफ पानी से धोये। परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावष्यक रूप से नहीं छुवे एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर को समझाया कि रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर ईशारा करे या अपने मोबाईल नम्बर से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल करें। डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को समझाईश की गई। फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टान्त

फिनोफ्थ्लीन पाउडर नियमानुसार मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आज रविवार का अवकाष है इसलिए नायब तहसीलदार बाबूलाल जी अन्ता में उनके मकान पर ही मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त करेंगे। समय 01.15 पी0एम0 पर ट्रेप से पूर्व की कार्यवाही के बाद परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर व श्री लोकेश कानि0 362 को कस्बा अन्ता में एनटीपीसी रोड की तरफ मिलने की हिदायत कर परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस प्रेमचन्द, श्री ज्ञानचंद सहायक उप निरीक्षक, श्री मनोज शर्मा कानि0 211, श्री दिनेश कुमार कानि0 360, मय स्वतंत्र गवाहान श्री महेश मेहता व श्री चन्द्रप्रकाश प्रजापति के प्राईवेट वाहनों से मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के कस्बा अन्ता के लिये रवाना हुआ। श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 को कार्यालय में निगरानी हेतु छोडा गया। समय 01.55 पी0एम0 पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के प्राईवेट वाहनो से एनटीपीसी रोड रेलवे स्टेशन रोड अन्ता की तरफ जाने वाले रोड पर पहुंचा। दोनो वाहनो को रोड के साईड में सुरक्षित स्थान पर खडा करवाया। कुछ समय बाद परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर व श्री लोकेश कानि0 362 मोटरसाईकिल से उपस्थित आये। परिवादी ने बताया कि मैंने आरोपी नायब तहसीलदार की उसके घर पर तलाश करवाया तो वह घर पर नही है कहीं बाहर गये हुये है। इसलिए आज लेनदेन की कार्यवाही नही हो पायेगी। कल सुबह जल्दी अन्ता में अपने घर पर ही मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। परिवादी के बताये अनुसार आरोपी के बाहर होने से ट्रेप कार्यवाही होने की संभावना नही होने से परिवादी को दी गई रिश्वत राशि 8000 रूपये फिनॉफ्थलीन पावडर लगी हुई को परिवादी से सीधे ही एक खाली लिफाफे में रखवाकर सुरक्षित गाडी के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। परिवादी को दिनांक 14.10.2024 को प्रातः 08.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर सकुशल रूखसत किया गया। समय 02.30 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस प्रेमचन्द, श्री ज्ञानचंद सहायक उप निरीक्षक, श्री मनोज शर्मा कानि0 211, श्री दिनेश कुमार कानि0 360, श्री लोकेश कानि0 362 मय स्वतंत्र गवाहान श्री महेश मेहता व श्री चन्द्रप्रकाश प्रजापति के साथ लाये प्राईवेट वाहनों से मय रिश्वत राशि मय उपकरणो के वापस एसीबी कार्यालय बारां रवाना होकर समय 03.10 पी0एम0 पर एसीबी कार्यालय बारां पहुचे। रिश्वत राशि का लिफाफा गाडी के डेस्क बोर्ड से निकलवाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को कार्यवाही को गोपनीय रखने तथा दिनांक 14.10.2024 को प्रातः 08.00 पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 14.10.2024 समय 08.30 ए0एम0 पर पाबन्दशुदा दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री महेश मेहता एवं चन्द्रप्रकाश प्रजापति कार्यालय में उपस्थित आये। कार्यालय के मालखाने से रिश्वत राशि का लिफाफा श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 से निकलवाकर गाडी के डेस्कबोर्ड में रखवाया गया। श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 के हाथ साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर को जर्ये मोबाईल एनटीपीसी से स्टेशन रोड अन्ता पर उपस्थित मिलने के लिए पाबन्द किया गया। समय 08.45 ए0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस प्रेमचन्द, श्री ज्ञानचंद सहायक उप निरीक्षक, श्री मनोज शर्मा कानि0 211, श्री दिनेश कुमार कानि0 360, श्री लोकेश कानि0 362, श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 चालक 530 मय स्वतंत्र गवाहान श्री महेश मेहता व श्री चन्द्रप्रकाश प्रजापति के प्राईवेट वाहनों से मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के कस्बा अन्ता के लिये रवाना होकर समय 09.10 ए0एम0 पर एनटीपीसी रोड से रेलवे स्टेशन रोड अन्ता की तरफ जाने वाले रोड पर पहुंचा। दोनो वाहनो को रोड के साईड में सुरक्षित स्थान पर खडा करवाया। कुछ समय बाद परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर मोटरसाईकिल से उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि मैंने नायब तहसीलदार की उसके घर पर तलाश करवाया तो वह घर पर ही है। आज वह मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। स्वतन्त्र गवाह श्री महेश मेहता से परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर की तलाशी लिवाई गई तथा पहने हुए कपडो व मोबाईल के अतिरिक्त कुछ नही रहने दिया। तत्पश्चात श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 से गाडी के डेस्कबोर्ड में रखा रिश्वत राशि का लिफाफा निकलवाया तथा लिफाफे से रिश्वत राशि निकलवाई जाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दांयी जैब में रखवाई गई। परिवादी को हिदायत की गई कि राशि को अनावश्यक नही छूए आरोपी के मांगने पर ही उसे देवे। साथ ही परिवादी को समझाईश की गई कि रिश्वत राशि आरोपी को देने के बाद मन उप अधीक्षक को सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें अथवा मोबाईल पर मिसकॉल करें। रिश्वत राशि रखने के प्रयोग में लिये गये लिफाफे को जलाकर नष्ट करवाया गया। पावडर लगे नोट परिवादी की जेब में रखने वाले श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 को ब्यूरो कार्यालय बारां के लिए रवाना किया गया। समय 09.18 ए0एम0 पर रिश्वत लेन देन वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर को सुपुर्द कर चालू करवाकर उसकी मोटरसाईकिल से आरोपी श्री बाबूलाल गोचर नायब तहसीलदार के पास उसके निजी आवाज कस्बा अन्ता के लिए रवाना किया गया। परिवादी के पीछे पीछे निगरानी हेतु श्री लोकेश कानि0 362 व श्री मनोज कानि0 211 को रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहान के वाहनो को सुरक्षित स्थान पर खडा कर पैदल पैदल परिवादी के पीछे पीछे रवाना हो परिवादी के ईशारे के इंतजार में आरोपी के निजी आवाज के आसपास छुपाव हांसिल करते हुए मुकीम हुए। समय 09.26 एएम पर परिवादी श्री गिरिराज ने आरोपी के अन्ता स्थित निजी आवास के गेट से बाहर आकर रिश्वत लेनदेन का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ मय स्वतन्त्र गवाह श्री महेश मेहता व श्री चन्द्रप्रकाश प्रजापति के साथ परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी के पास से डिवीआर लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि श्री बाबूलाल जी

नायब तहसीलदार जी ने रिश्वत राशि 8000 रूपये मुझसे दाहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जैब में रख ली है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी एवं एसीबी जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहान को साथ लेकर आरोपी के निजी आवास के अन्दर प्रवेश किया जहां पर एक व्यक्ति पेन्ट शर्ट पहने सामने खडा हुआ मिला। जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही बाबूलाल जी नायब तहसीलदार जी है। इस पर उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर आने का उददेष्य बताया तथा उससे उसका नाम पता पूछा तो वह व्यक्ति एक दम से घबरा गया जिसे तसल्ली देकर बैठाया तथा उससे उसका नाम पता पुनः पूछा तो उसने अपना नाम श्री बाबूलाल गोचर पुत्र स्व0 मदनलाल जाति गुर्जर उम्र 54 साल निवासी प्लॉट नम्बर 36 शिव कॉलोनी स्टेशन रोड अन्ता जिला बारां हाल नायब तहसीलदार उप तहसील सीसवाली जिला बारां होना बताया। उससे जब परिवादी गिरिराज से ली गई रिश्वत राशि 8000/- रूपये के संबंध में पूछा तो उसने बताया की श्री गिरिराज ने ग्राम मूण्डला में बारां सीसवाली रोड पर दुकान का निर्माण किया हुआ है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए श्री गिरिराज को दिनांक 01.10.2024 को नोटिस दिया था। गिरिराज द्वारा उसकी दूकान पर कोई कार्यवाही नही करने की एवज में मुझे अभी 8000/- रूपये दिये है। जो मैंने लेकर मेरी पेन्ट की सामने की दाहिनी जैब में रख ली है। जो मेरे पास रखे है। समय 09.40 एएम पर मौके पर कार्यवाही हेतु उचित व्यवस्था नही होने एवं कानून व्यवस्था स्थिति को मद्देनजर रखते हुए श्री ज्ञानचन्द एएसआई से आरोपी बाबूलाल गोचर का दाहिना हाथ कलाई के उपर से पकडवाकर एवं बायां हाथ श्री मनोज कानि0 211 से कलाई के उपर से पकडवाया जाकर आरोपी को यथास्थिति में रहने की हिदायत देकर साथ लाये वाहनो में बिठाकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी मय जाप्ता के साथ लाये वाहनो से पुलिस थाना अन्ता के लिए रवाना हुआ। श्री लोकेश कानि0 362 को आरोपी के मकान की निगरानी हेतु छोडा गया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो कोटा रेंज कोटा को जर्ये दुरभाष आरोपी के निवास की खाना तलाशी हेतु टीम भिजवाने बाबत निवेदन किया गया। समय 09.50 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहान व आरोपी श्री बाबूलाल को हमराह लेकर आरोपी के निजी आवास से साथ लाये वाहनो से रवानाशुदा पुलिस थाना अन्ता पहुचां। थानाधिकारी श्री दिग्विजय गुर्जर से अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुमति प्राप्त कर आरोपी श्री बाबूलाल नायब तहसीलदार को यथास्थिति दोनो हाथ कलाई के उपर पकडे थाने के कम्प्यूटर कक्ष में लाकर बैठाया गया। तत्पश्चात दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष हाथ धुलाई एवं बरामदगी कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री दिनेश कानि0 360 से कार्यालय कक्ष में रखे पानी के केम्पर से एक बोतल में साफ पानी मंगवा कर दो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी डाला गया, उसमें सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया गया। दोनां गिलासों के घोल का रंग रंगहीन ही रहा जिसे परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहों ने भी रंगहीन होना माना। तत्पश्चात इस घोल के एक गिलास में आरोपी श्री बाबूलाल गोचर नायब तहसीलदार के दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शिशीयां में आधा-आधा भरवाकर कर सील चिट मोहर किया गया। शिशीयों पर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दूसरे साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री बाबूलाल गोचर नायब तहसीलदार के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का मटमैला हो गया जिसे साफ कॉच की दो शिशीयों में आधा-आधा भरवाकर कर सीलचिट मोहर किया गया। शीषीयों पर मार्क एलएच-1 एलएच-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री बाबूलाल गोचर नायब तहसीलदार की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री महेश मेहता से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में पांच पांच सौ रूपये के सोलह नोट कुल 8000/- रूपये मिले। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतन्त्र गवाह से फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पावडर से करवाया गया तो हू ब हू उसी नम्बर के नोट होना पाया गया। बरामद रिश्वत राशि पांच पांच सौ के सोलह नोटों कुल 8000/- रूपये को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर लिफाफे पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री बाबूलाल गोचर नायब तहसीलदार की पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब का धोवन लेना आवश्यक होने से आरोपी के परिचित से पहनने के लिये पजामा मंगवाकर पहनी हुई पेन्ट ग्रे कलर को खुलवाकर मंगवाया गया पजामा पहनाया गया तथा साफ पारदर्शी प्लास्टिक के एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में आरोपी श्री बाबूलाल गोचर नायब तहसीलदार की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। इस घोल को भी दो साफ कॉच की शिशीयों में आधा-आधा भरवाकर सीलचिट मोहर कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तथा प्रयोग में लिये गये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासो को बाहर जलवाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद पेन्ट को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया जाकर विवरण अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क-पी अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री बाबूलाल गोचर नायब तहसीलदार की हाथ धुलाई, पेन्ट की धुलाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग विधिक प्रावधानो के तहत मोबाईल में पृथक से मैमोरी कार्ड लगाकर तैयार की गई। परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर के पैण्डिग कार्य से

सम्बन्धित दस्तावेजो की सत्यप्रति उपलब्ध करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब मांगरोल को जर्ये मोबाईल अवगत कराया गया। कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एंव हाथ धुलाई नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.35 पी0एम0 पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष नमूना आवाज देने हेतु नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी श्री बाबूलाल गोचर ने अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार किया तथा फर्द नोटिस नमूना आवाज पर "मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता हू" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द नमूना आवाज नोटिस पर स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 01.00 पी0एम0 पर श्री बाबूलाल गोचर पुत्र स्व0 श्री मदनलाल जाति गुर्जर उम्र 54 साल निवासी प्लॉट नम्बर 36 षिव कॉलोनी स्टेषन रोड अन्ता जिला बारां हाल नायब तहसीलदार उप तहसील सीसवाली जिला बारां को मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पूर्ण पद का परिचय देकर अवगत कराया कि आप द्वारा परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर से उसकी दुकान हटाने बाबत दिये गये नोटिस को रफादफा करने की एवज में दिनांक 08.10.2024 को 8000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 14.10.2024 को रिश्वत लेनदेन के दौरान 8000/- रूपये रिश्वत राशि परिवादी श्री गिर्राज गुर्जर से प्राप्त करने का जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध करने के कारण आरोपी की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने व आरोपी द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना होने से आरोपी की गिरफ्तारी आवश्यक होने पर आरोपी श्री बाबूलाल गोचर पुत्र स्व0 श्री मदनलाल जाति गुर्जर उम्र 54 साल निवासी प्लॉट नम्बर 36 शिव कॉलोनी स्टेशन रोड अन्ता जिला बारां हाल नायब तहसीलदार उप तहसील सीसवाली जिला बारां को गिरफ्तारी के आधार तथा कारणों एवं उसके संवेधानिक अधिकारों से भली भांति अवगत कराने के उपरान्त बसबूत जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री बाबूलाल गोचर की जामा तलाशी पुनः स्वतन्त्र गवाह श्री महेश मेहता से लिवाई गई तो कोई वस्तु दस्तयाब नही हुई। आरोपी श्री बाबूलाल गोचर नायब तहसीलदार की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार आरोपी के पुत्र श्री अभिनव को दी गई। समय 01.45 पी0एम0 पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 08.10.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 14.10.2024 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ता जो कार्यालय के डीवीआर में रिकार्ड थी को श्री मनोज कानि0 211 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में लगवाकर स्पीकर ऑन कर स्वतन्त्र गवाह एवं परिवादी को सुनाई गई जिसमें परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री बाबूलाल नायब तहसीलदार की होना बताया। रिश्वत लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन वार्ता हू ब हू टाईप करवाकर तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 03.00 पी0एम0 पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष दिनांक 14.10.2024 को बरामदगी एवं हाथ धुलाई के समय मोबाईल में नया मेमोरी कार्ड डालकर बरामदगी एवं हाथ धुलाई कार्यवाही की विडियोग्राफी तैयार की गई थी। मोबाईल को श्री मनोज कानि0 211 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड की गई विडियोग्राफी की पृथक पृथक 03 पैन ड्राईव sandisk 32 gb में लेकर डब करवाये गये। जिसमें से एक पैन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु, एक पैन ड्राईव आरोपी के लिए पृथक पृथक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड की लेपटॉप से हैष वैल्यू की गणना कर प्रिन्ट लेकर शामिल पत्रावली की गई। मूल मैमोरी कार्ड mmc ards 32 micro sd को बतौर वजह सबूत जप्त कर एक कपडे की थैली में रखकर सिलचिट मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कार्यवाही की फर्द जप्ती मूल मैमोरी कार्ड विडियोग्राफी हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि व डंबिग पैन ड्राईव पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 03.30 पी0एम0 पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष दिनांक 08.10.2024 परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर व आरोपी श्री बाबूलाल गोचर नायब तहसीलदार के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 14.10.2024 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ता (फाईल नम्बर 241008_1255, 241014_0918) जो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी को श्री मनोज कानि0 211 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप मे सेव करवाकर कार्यालय के लेपटोप से 04 पेन ड्राईव sandisk 32 gb में श्री मनोज कानि0 211 से डब करवाई गयी। जिसकी डंबिग पेन ड्राईव श्री मनोज कानि0 211 से तैयार करवाकर एक पेन ड्राईव वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये, एक पैन ड्राईव नमूना आवाज कार्यवाही के लिए, एक पेन ड्राईव आरोपी के लिए कपडे की थैलीयों मे पृथक पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। जर्ये लेपटोप मूल मेमोरी कार्ड की हैष वैल्य की गणना कर प्रिन्ट निकालकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकोर्डर में उपयोग किये गये मेमोरी कार्ड sandisk ultra 32 gb को न्यायालय के लिये एक कपडें की थैली में रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कार्यवाही की फर्द जप्ती मूल मैमोरी कार्ड एवं डंबिग पैन ड्राईव पृथक से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 04.00 पी0एम0 पर श्री आशीष गौड पटवारी पटवार हल्का शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां ने उपस्थित होकर श्री शम्भुदयाल मित्तल तहसीलदार तहसील मांगरोल जिला बारां द्वारा प्रमाणित परिवादी के पैण्डिग कार्य सम्बन्धित चाहे गये दस्तावेज मन

प्रेमचन्द उपअधीक्षक पुलिस को पेश किये जिस पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किये गये। समय 04.10 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान श्री महेश मेहता एवं श्री चन्द्रप्रकाश प्रजापति मय परिवादी मय एसीबी जाप्ता मय रिश्वत राशि मय आर्टीकल्स मय ट्रेप उपकरणो श्री गिरिराज गुर्जर के घटनास्थल का नक्षा मौका तैयार करने हेतु आरोपी के निजी आवास प्लाट नम्बर 36 शिव कोलोनी स्टेशन रोड अन्ता रवाना होकर समय 04.20 पी0एम0 पर आरोपी के निजी आवास पर पहुचां। मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतन्त्र गवाहान श्री महेश मेहता व श्री चन्द्रप्रकाश प्रजापति की मौजूदगी में परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर की निषादेही से रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्षा मौका नियमानुसार मुर्तिब किया जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर फर्द नक्षा मौका शामिल पत्रावली किया गया। समय 05.20 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान श्री महेश मेहता एवं श्री चन्द्रप्रकाश प्रजापति मय परिवादी मय एसीबी जाप्ता मय रिश्वत राशि व आर्टीकल्स मय ट्रेप उपकरण व गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री बाबूलाल गोचर नायब तहसीलदार के बाद नक्षा मौका की कार्यवाही के घटनास्थल आरोपी के निजी आवास प्लॉट नम्बर 36 शिव कोलोनी से साथ लाये वाहनो से रवाना होकर समय 06.00 पी0एम0 पर कार्यालय बारां पहुंचा। आरोपी श्री बाबूलाल गोचर नायब तहसीलदार को जाप्ता की निगरानी में बैठाया गया। प्रकरण में जप्तषुदा आर्टीकल्स मालखाना प्रभारी श्री उमाशंकर हैड कानि0 125 को सुपुर्द कर नियमानुसार मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना में सुरक्षित रखवाये गये। बाद कार्यवाही परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर व स्वतन्त्र गवाहान श्री महेश मेहता व श्री चन्द्रप्रकाश प्रजापति को सकुशल रवाना किया गया। आरोपी श्री बाबूलाल गोचर का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली बारां की हवालात में बन्द किया गया। अब तक की कार्यवाही एवं हालात से पाया गया कि परिवादी गिरिराज पुत्र धन्नालाल निवासी मूण्डला तह0 मांगरोल जिला बारां ने दिनांक 08.10.2024 को एसीबी कार्यालय बारां मे उपस्थित होकर स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया। परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर द्वारा ग्राम मूण्डला में बारां सीसवाली रोड पर खसरा नम्बर 545 रकबा 0.31 हैक्टेयर में नाले के पास पक्की दुकान एवं कमरो का निर्माण किया गया है। इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर पटवारी पटवार हल्का छत्रपुरा द्वारा दिनांक 24.09.2024 की रिपोर्ट में परिवादी की पक्की दुकान व उसके उपर कमरो का निर्माण लगभग 15-20 वर्ष पुराना होना, नाले की जगह पर साईड में बना होना उक्त निर्माण से मौके पर आने जाने का कोई रास्ता बन्द नही होना अंकित है। उक्त पटवारी की रिपोर्ट होने के उपरान्त भी खेतो के आने जाने का रास्ता बन्द होने तथा बरसाती पानी की निकासी बन्द होने का हवाला देकर उक्त दुकान को खाली करके अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में रिश्वत राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से श्री बाबूलाल गोचर नायब तहसीलदार उप तहसील सीसवाली जिला बारां द्वारा नोटिस क्रमांक 17 दिनांक 01.10.2024 श्री गिरिराज गुर्जर परिवादी को जारी किया गया। इस सम्बन्ध में परिवादी श्री गिरिराज गुर्जर आरोपी श्री बाबूलाल गोचर से जाकर मिला मामले को रफा दफा करने की एवज में 10000 रूपये रिश्वत मांग की गई। जिस पर परिवादी द्वारा एसीबी बारां पर शिकायत की गई। उक्त शिकायत पर दिनांक 08.10.2024 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपी श्री बाबूलाल नायब तहसीलदार द्वारा परिवादी से 8000/- रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। बाद सत्यापन दिनांक 14.10.2024 को ट्रेप कार्यवाही कर आरोपी श्री बाबूलाल गोचर नायब तहसीलदार उप तहसील सीसवाली को उसके निजी आवास प्लॉट नम्बर 36 शिव कोलोनी अन्ता पर रिश्वत राशि 8000 रूपये प्राप्त करने पर रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि 8000/- रूपये आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से बरामद की गई। आरोपी बाबूलाल गोचर के दाहिने हाथ का धौवन लेने पर हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ तथा आरोपी के बायें हाथ का धौवन हल्का मटमैला प्राप्त हुआ। आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब का धौवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। आरोपी को ट्रेप कार्यवाही के दौरान नमूना आवाज नोटिस दिया गया जिसमें आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार किया तथा फर्द पर " मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता हुं" अंकित किया। आरोपी को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया। परिवादी गिरिराज व आरोपी बाबूलाल गोचर नायब तहसीलदार के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.10.2024 व रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 14.10.2024 की फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार करवाई गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में 8000/- रूपये रिश्वत राशि मांग करने की एवं लेनदेन वार्ता में 8000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने की पुष्टि हुई है। फर्द जप्ती मूल मैमोरी कार्ड एवं डंबिग पैन ड्राईव की कार्यवाही कर घटनास्थल का फर्द नक्षा मौका तैयार किया गया। अतः सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही फर्द ट्रास्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.10.2024, फर्द ट्रास्क्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 14.10.2024, आरोपी के धौवन सैम्पल, नमूना आवाज नोटिस व फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व समस्त कार्यवाही से आरोपी श्री बाबूलाल गोचर पुत्र स्व0 मदनलाल जाति गुर्जर उम्र 54 साल निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील अन्ता जिला बारां हाल निवास प्लॉट नम्बर 36 शिव कॉलोनी स्टेशन रोड अन्ता जिला बारां हाल भू-अभिलेख निरीक्षक कार्य व्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार उप तहसील सीसवाली जिला बारां के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संषोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। (प्रेमचन्द) उप अधीक्षक पुलिस,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री बाबूलाल गोचर पुत्र स्व0 मदनलाल जाति गुर्जर उम्र 54 साल निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील अन्ता जिला बारां हाल निवास प्लॉट नम्बर 36 शिव कॉलोनी स्टेशन रोड अन्ता जिला बारां हाल भू-अभिलेख निरीक्षक कार्य व्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार उप तहसील सीसवाली जिला बारां के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री हरीश भारती, उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 715 पर अंकित है। (राहुल कोटोकी) उप महनिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1253-56 दिनांक 15-10-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा। 2-जिला कलक्टर, बारां। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां। उप महनिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** Harish Bharti **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 15/10/2024 16:45:00

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** RAHUL KATAKEY

**Rank (पद):** Dy. IG (Deputy Inspector General)

**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्रक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 25/07/1970 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)